तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 25/2024 अनवान लक्ष्मणराम बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पूनियों की बासनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

लक्ष्मणराम

बनाम

ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पूनियों की बासनी

उपस्थित

1. श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

आदेश

दिनांक 05 फरवरी 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 94/2021 बअनवान लक्ष्मणराम बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पूनियों की बासनी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3150 रकबा 0.5987 हैक्टेयर ग्राम पूनियों की बासनी अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट अपनी पुश्तैनी खातेदारी की उक्त भूमि पर अपने परिवार सहित काबिज काश्त चला आ रहा है, नक्शा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 25/2024 अनवान लक्ष्मणराम बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पूनियों की बासनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	लट्टा-ट्रेस के अनुसार वादग्रस्त आराजी तरमीमशुदा है और मौके पर वादग्रस्त भूमि के उत्तर एवं पश्चिमी सीमाओ पर पक्की दीवार निर्मित है तथा पूर्व और दक्षिण सीमाओ पर पट्टिया खडी कर तारबन्दी की हुई है और मौके पर रहवासीय ढाणी, पशुओं का बाडा व अन्य कच्चा-पक्का निर्माण भी किया हुआ है और बकाया भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा काश्त कार्य किया जाता है। वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा की सीमा पर राजकीय गैर मुमकिन सडक है और उक्त सडक के दूसरी तरफ आबादी भूमि बसी हुई है। उक्त आबादी भूमि पर एकत्रित गन्दा पानी की निकासी सडक के नीचे से पाईन-लाइन के जरिये अपीलाण्ट की उक्त खातेदारी भूमि में नाला बना कर छोडने हेतु आमादा है और इस आशय की धमकी भी दिनांक 05 जुलाई 2021 को रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपीलाण्ट को दी गयी। अपीलाण्ट द्वारा समझाईश कर रेस्पो. संख्या एक से ऐसा नहीं कर कदीमी रूप से बरसाती पानी के प्राकृतिक प्रवाह के स्थान पर नाला बनाये जाने का अनुरोध किया गया, मगर नहीं मानने पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत दावा पेश किया गया और साथ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष मे मानते हुए वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 12 अक्तूबर 2021 को पारित किया गया। इसके बाद पक्षकारान की सुनवाई कर मात्र रेस्पो. संख्या एक द्वारा उठाये गये मौखिक कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 13 फरवरी 2024 को खारिज कर दिया गया जो न्यायोचित व विधिसम्मतः नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा किसी सरकारी भूमि पर कभी कोई अतिकमण किया हुआ नहीं है, राजनीतिक द्वेषता से ग्रसित होकर रेस्पो. संख्या एक	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में नाले के जरिये गन्दा पानी छोडने पर आमदा है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाण्ट का खसरा संख्या 3153 व खसरा संख्या 3149 की भूमि पर अतिकमण मानने में तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। उक्त रिपोर्ट गलत है जिसमें अपीलाण्ट का खसरा संख्या 3224 के उत्तरी कोने पर रास्ते पर 4 गट्टे व खसरा संख्या 3222 के उत्तरी कोने पर 2 गट्टे अंकित किया गया है। मौका रिपोर्ट में अंकित इन खसरो से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि की सीमा ही नहीं लगती। अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पो. संख्या एक द्वारा सडक के नीचे पाइप लगा कर आबादी भूमि के गन्दे पानी की निकासी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में कर दी जाती है तो निश्चय ही अपीलाण्ट को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2024 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3150 रकबा 0.5987 हैक्टेयर के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अपीलांट की भूमि में गंदे पानी की निकासी न करे तथा न ही नाला बनाये।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा नाला निर्माण का कार्य अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में नहीं किया जा रहा है अपितु यह निर्माण ग्राम पंचायत की भूमि खसरा संख्या 3149 एवं खसरा संख्या 3148/1 गैरमुमकिन सडक की भूमि में किया जा रहा है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि के अलावा उत्तरी कोने पर चार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 25/2024 अनवान लक्ष्मणराम बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पूनियों की बासनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	गट्टा तथा पूर्वी कोने पर 2 गट्टा भूमि पर कच्चे पत्थरों की दीवार निकाल कर खसरा संख्या 3153 एवं खसरा संख्या 3149 पर अतिकमण किया हुआ है और जहॉ सार्वजनिक हितार्थ रेस्पो. संख्या एक द्वारा कार्य कराया जा रहा है, वह अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि ही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। दौराने बहस रेस्पो. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नाला निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवत 2073-2076 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 3150 अपीलाण्ट लक्ष्मणराम पुत्र बुधाराम की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि बाबत अपने खातेदारी अधिकारों के संरक्षण हेतु अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया गया है और मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हळका की मौका फर्द दिनांक 03 अगस्त 2021 के मुताबिक अपीलांट के खातेदारी खसरा संख्या 3150 के उत्तरी कोने पर चार गट्टे तथा पूर्वी कोने पर 2 गट्ठा राजकीय रास्ते पर जरिये पत्थर की दीवार बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इसी आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। दौराने बहस रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 25/2024 अनवान लक्ष्मणराम बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पूनियों की बासनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गया है कि सड़क के किनारे-किनारे नाला खोदकर पानी की निकासी की जा चुकी है, जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 15.08.2024 से होती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में रेस्पोडेंट्स की ओर से अपीलांट की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इन परिस्थितियों वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2024 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर